



**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस**

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का प्रलक्षित कब्जा (नीचे वर्णित) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **“जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है”** एवं **“दायित्व रहित”** के आधार पर निम्नलिखित देनदारों, प्रत्याभूति-दाता तथा जमानतदारों से प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा बेचे जाने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

क्र.मां.क	ऋण खाता/ ऋणी/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार एवं संबंधित शाखा	मांग सूचना दिनांक  आधिपत्य दिनांक  बकाया राशि (मांग सूचना के अनुसार)	साम्यबंधक अचल संपत्तियों का विवरण/ कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य	
				अग्रिम धरोहर जमा राशि	
				बिड वृद्धि राशि	
1	श्री हिमांशु अरोरा पुत्र श्री धनपत राय अरोरा श्री धनपत राय अरोरा पुत्र श्री गालाराम अरोरा, श्रीमती शीला अरोरा पत्नी श्री धनपत राय अरोरा, निवासी: म.न. 2, महावीर कॉलोनी, हाथीताल जबलपुर, तहसील एव जिला जबलपुर (म०प्र०) मै. रुचि कलेक्शन, कार्यालय: गणेश चौक, सदर रोड, जबलपुर, तहसील एव जिला जबलपुर (म०प्र०) शाखा : म. प्र. हाउसिंग बोर्ड	17/05/2021  02/12/2021  Rs. 67,31,252+ ब्याज + विधिक व्यय	दो मंजिला मकान एवं साथ की भूमि, मौज़ा हथीताल न ब 753 पटवारी हल्का न 24/02 पुराना, 29 नया, डाइवर्जन खसरा न131/43, 133/44 का हिस्सा फेज 2 का प्लॉट 2, सेठी नगर बस्ती से अंदर महावीर कॉलोनी, हाथीताल जबलपुर, तहसील एव जिला जबलपुर (म०प्र०), कुल रकबा 1320 वर्ग फुट, <b>चतुःसीमा: उत्तर-प्लॉट न 3, पूर्व - कॉलोनी का रास्ता, दक्षिण -प्लॉट न 1, पश्चिम -प्लॉट न 11</b> <b>संपत्ति/ भवन स्वामी :</b> श्रीमती शीला अरोरा पत्नी श्री धनपत राय अरोरा, श्री धनपत राय अरोरा पुत्र श्री गालाराम अरोरा, श्री हिमांशु अरोरा पुत्र श्री धनपत राय अरोरा, <b>प्रलक्षित कब्जा</b>	रु	53,01,000
				रु	5,30,100
				रु	20,000
2	दी डेडी ऐग्रो फूड इंडस्ट्रीज़ प्रो. श्रीमति दीप्ति ग्रोवर पत्नी श्री धीरज ग्रोवर प्लॉट 22 फूड पार्क सैक्टर D मनेरी, तहसील -निवास जिला मंडला-481885 श्रीमति दीप्ति ग्रोवर पत्नी श्री धीरज ग्रोवर श्री धीरज ग्रोवर पुत्र स्व. महेश ग्रोवर (गारंटीदाता) 143 आदर्श नगर जबलपुर-482001 शाखा : म. प्र. हाउसिंग बोर्ड	01/05/2018  17/10/2018  रु 72,75,021+ रु 1,45,87,000 +ब्याज+ विधिक व्यय	मौज़ा रामपुर, नं.बं.-1, प.ह.न 28/32, नया प.ह.न 9 में स्थित पुराना खसरा न 70 का भाग, नामांतरण खसरा न 70/14 का कुल रकबा 7470 वर्गफुट में से भाग रकबा लगभग 1968 वर्गफुट आवासीय डायवर्टेड भूखंड क्रमांक 143 का भाग (जोकि खसरा न 51, 52/1क, 52/1 ख, 52/5, 53, 54/1, 56, 57, 62, 63, 64/1, 66/1, 70 नया नं. 52/1ग, 52/5, 53/1, 54/1क, 56, 57/1, 62/1 64/1, 66/1, 70 में स्थित “दी पुरुषार्थी कोओपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड जबलपुर” के स्वीकृत लेआउट में दर्शित है) व उस पर निर्मित 2 मंजिला आवासीय मकान। ग्वारीघाट, पुराना शंकर शाह नगर वार्ड, नया दादा बाबू राव परांजपे वार्ड नं- 68, तहसील व जिला जबलपुर, <b>चतुःसीमा: उत्तर-साइड रोड, पूर्व -श्रीमति रीता ग्रोवर,दक्षिण-नाला, पश्चिम-श्री शांति लाल जैन एवं श्री सुनील कुमार पारेख</b> <b>संपत्ति/ भवन स्वामी:</b> श्री धीरज ग्रोवर पुत्र स्व. महेश ग्रोवर, <b>प्रलक्षित कब्जा</b> लीज डीड प्लॉट नं 22 फूड पार्क मनेरी, तहसील निवास, जिला मंडला कुल रकबा 1650 वर्गमीटर व उस पर निर्मित शेड एवं निर्माण। <b>प्रलक्षित कब्जा</b>	रु	61,23,000
				रु	6,12,300
				रु	20,000
				रु	36,00,000
				रु	3,60,000
				रु	10,000
				रु	18,44,000
				रु	1,84,400
				रु	10,000
				3	श्रीराम डेयरी फार्म श्री रामकृष्ण उरमलिया पिता स्व. श्री द्वारका प्रसाद पता: 1) 443, इंद्रा नगर, सुहागी, जबलपुर (म.प्र) 482004 2) करोंदा नाला, खैरी रोड, जबलपुर (म.प्र) 482004 संबंधित शाखा : गोकलपुर
रु	12,15,000				
रु	50,000				

4	श्रीमति मोनिका बिलोहा पति बालमुकुंद बिलोहा, श्री बालमुकुंद बिलोहा, पिता श्रीपूरन लाल बिलोहा पता - ग्राम - बम्हनौदा, पोस्ट- खिरहनी तहसील -पनागर जिला - जबलपुर (म.प्र) 483220 संबंधित शाखा : पनागर	<u>23/12/2022</u> <u>16/03/2023</u> रु 13,11,872.22 + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	मकान व भूमि मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल जबलपुर तहसील पनागर , व जिला जबलपुर मे स्थित भवन क्रमांक एम. आई. जी. ए -34 का रकवा 6.50 मी. बाई 12.00 मी. याने 78.00 वर्गमीटर भूमि जिसमे निर्मित एरिया 78.00 वर्गमीटर , पर पक्का आर. सी. सी. स्लैब का मकान स्थित है  <b>भू-स्वामी/ संपत्ति बंधककर्ता :</b> श्री बालमुकुंद बिलोहा पिता श्री पूरन लाल बिलोहा (संपत्ति बंधककर्ता), <b>चतुःसीमा :</b> उत्तर-एम. आई. जी. ए-33, पूर्व -एम. आई. जी. ए-19, दक्षिण -एम. आई. जी. ए-35,पश्चिम -कॉलोनी रोड, प्रलक्षित कब्जा	रु	16,65,000
				रु	1,66,500
				रु	10,000
5	मे. सत्या ट्रेडर्स प्रोप. श्री सतपाल सिंह पिता श्री राजपाल सिंह श्री राजपाल सिंह पिता श्री अर्जुन सिंह पता : मकान नं. 1645 , धनवंतरी नगर , गढ़ा मेन रोड, जबलपुर , मध्य प्रदेश 482001 संबंधित शाखा : गोकलपुर	<u>09/03/2023</u> <u>22/06/2023</u> रु 30,62,838.85 + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	मौजा भिटौनी नं. बं. 75 प. ह. नं. 52 खसरा नं. 39/1 रा. नि. मं. शहपुरा वार्ड नं. 9 तहसील शहपुरा जिला जबलपुर क्षेत्रफल: 4860 वर्गफुट डायवर्टेड । <b>चतुःसीमा :</b> उत्तर -साइड रोड, दक्षिण- राजू जैन की संपत्ति, पूर्व- नलकूप को रोड, पश्चिम- खुला प्लॉट । <b>संपत्ति- स्वामी / बंधककर्ता</b> श्री राजपाल सिंह पिता श्री अर्जुन सिंह , प्रलक्षित कब्जा	रु	50,83,500
				रु	5,08,350
				रु	20,000
6	श्री मो. शकील खान पिता श्री मो. गफ्फार खान पता: H. N 195, न्यू आनंद नगर, निकट रज़ा नगर, आधारताल, जबलपुर (म.प्र.) 482004 संबंधित शाखा : M.I.C.I.	<u>28/08/2019</u> <u>24/01/2020</u> रु 15,81,831 + ब्याज + विधिक व्यय	मौजा गढ़ा, नं.बं. 599, प.ह.नं. 33, पीसी नं- 06, रा.नि.मं. जबलपुर-1, तहसील एवं जिला जबलपुर खसरा 310 (पुराना) - पटवारी एवं डायवर्सन खसरा नं. 301/6, 302/5, 303/5, 304/5, 305/6, 307/5, 308/6, 309/6, 310/6 का कुल रकबा 3500 वर्गफुट मे से विक्रय डुप्लेक्स क्र. बी क्षेत्रफल 15X50 = कुल 750 वर्गफुट (69.70 वर्गमीटर) एवं उसपर निर्मित भवन  संपत्ति/ भवन स्वामी: श्री मो. शकील खान पिता श्री मो. गफ्फार खान चतुःसीमा: उत्तर-सोनी जी का मकान ,पूर्व -डुप्लेक्स नंबर C, दक्षिण -साइड रोड, पश्चिम -डुप्लेक्स नंबर A, प्रलक्षित कब्जा	रु	21,07,000
				रु	2,10,700
				रु	10,000
7	श्री भरत गुप्ता पिता श्री सुरेन्द्र गुप्ता (उधार कर्ता / संपत्ति बंधक कर्ता ) श्रीमति अंजलि गुप्ता पति श्री भरत गुप्ता (उधार कर्ता / संपत्ति बंधक कर्ता ) पता: 46, गली नं 2, राजीव गांधी वार्ड, नियर मेडोना रेस्टोरेन्ट, करमेता, जबलपुर 482002 संबंधित शाखा : बिलहरी जबलपुर	<u>07.07.2021</u> (पेपर प्रकाशन दि. 14.09.2021) <u>02/12/2021</u> रु 34,01,227 + ब्याज + विधिक व्यय	मौजा जबलपुर, नं.बं. 264, प.ह.नं. 24/1 पुराना - नया 4, पंजाब बैंक कॉलोनी, पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड, तह. व जिला जबलपुर (म.प्र) खसरा नं. 1/2, नामांतरण पश्चात खसरा नं. 1/2/क/30 का हिस्सा विक्रय प्लॉट नं. 110 मे 24X31.6 = 758 वर्गफुट, संपत्ति/ भवन स्वामी: श्री भरत गुप्ता पिता श्री सुरेन्द्र गुप्ता एवं श्रीमति अंजलि गुप्ता पति श्री भरत गुप्ता चतुःसीमा:उत्तर-पड़ोसी, पूर्व -विक्रेता की भूमि, दक्षिण -रोड, पश्चिम- संभवी की संपत्ति, प्रलक्षित कब्जा	रु	26,37,000
				रु	2,63,700
				रु	10,000
8	श्रीमति पूनम जैन पति श्री अक्षत जैन(उधार कर्ता / संपत्ति बंधक कर्ता ) श्री अक्षत जैन पिता श्री अरविंद कुमार जैन (उधार कर्ता / संपत्ति बंधक कर्ता ) पता: 838/1872, निकट हरदौल मंदिर, गुजराती कॉलोनी, चेरीताल, जबलपुर 482002 संबंधित शाखा : बिलहरी जबलपुर	<u>07/07/2021</u> <u>02/12/2021</u> रु 36,22,715 + ब्याज + विधिक व्यय	मौजा जबलपुर, नं.बं. 264, प.ह.नं. 24/1 पुराना - नया 4, पंजाब बैंक कॉलोनी, पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड, तह. व जिला जबलपुर (म.प्र) खसरा नं. 1/2, नामांतरण पश्चात खसरा नं. 1/2/क/30 का हिस्सा विक्रय प्लॉट नं. 118/ए क्षेत्रफल 20X30= 600 वर्गफुट (55.76 वर्गमीटर) <b>संपत्ति/ भवन स्वामी:</b> श्रीमति पूनम जैन पति श्री अक्षत जैन एवं श्री अक्षत जैन पिता श्री अरविंद कुमार जैन <b>चतुःसीमा:</b> उत्तर-साइड रोड ,पूर्व -विक्रेता की भूमि, दक्षिण -विक्रेता की भूमि, पश्चिम -विक्रेता की भूमि, प्रलक्षित कब्जा	रु	20,98,000
				रु	2,09,800
				रु	10,000
9	श्री अशोक सोनी पिता स्व. श्री सत्य नारायण सोनी श्रीमति सरोज सोनी पति श्री अशोक सोनी पता: (1) प्लॉट नं. 106, नर्मदा परिसर, पंजाब बैंक कॉलोनी, दमोह नाका के पास, जबलपुर (2) म.न. 464, तामहराई चौक, कोतवाली वार्ड, जबलपुर (म.प्र) संबंधित शाखा : बिलहरी जबलपुर	<u>09/08/2021</u> <u>02/12/2021</u> रु 24,53,891 + ब्याज + विधिक व्यय	साम्य बंधक भूमि एवं भवन: मौजा जबलपुर, नं.बं. 264, प.ह.नं. 24/1 पुराना - नया 4, पंजाब बैंक कॉलोनी, पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड, तह. व जिला जबलपुर (म.प्र) खसरा नं. 1/2, नामांतरण पश्चात खसरा नं. 1/2/क/30 का हिस्सा विक्रय प्लॉट नं. 106 मे एरिया 18.6 X 43 = 800 वर्गफुट <b>संपत्ति/ भवन स्वामी:</b> श्री अशोक सोनी पिता स्व. श्री सत्य नारायण सोनी एवं श्रीमति सरोज सोनी पति श्री अशोक सोनी <b>चतुःसीमा:</b> उत्तर-रोड, पूर्व -विक्रेता की भूमि, दक्षिण -विक्रेता की भूमि, पश्चिम -विक्रेता की भूमि, प्रलक्षित कब्जा	रु	27,29,000
				रु	2,72,900
				रु	10,000
10	मो. इरफान पिता श्री मो. सुलमान पता : 1, न्यू आनंद नगर, रजा चौक, आधारताल, जबलपुर (म.प्र) संबंधित शाखा : M.I.C.I.	<u>07/10/2020</u> <u>02/12/2021</u> रु 16,51,834 + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	साम्य बंधक भूमि एवं भवन: मौजा गढ़ा, नं.बं. 599, प.ह.नं. 33, पीसी 06, रा.नि.मं. जबलपुर-1, तहसील एवं जिला जबलपुर - पटवारी एवं डायवर्सन खसरा नं. 301/6, 302/5, 303/5, 304/5, 305/6, 307/5, 308/6, 309/6, 310/6 का कुल रकबा 3500 वर्गफुट मे से विक्रय डुप्लेक्स क्र. सी क्षेत्रफल 15X50 = कुल 750 वर्गफुट (69.70 वर्गमीटर) एवं उसपर निर्मित भवन <b>संपत्ति/ भवन स्वामी:</b> मो. इरफान पिता श्री मो. सुलमान <b>चतुःसीमा:</b> उत्तर-सोनी जी का मकान, पूर्व- डुप्लेक्स नं. डी दक्षिण-साइड रोड, पश्चिम- डुप्लेक्स नं. बी, प्रलक्षित कब्जा	रु	19,36,000
				रु	1,93,600
				रु	10,000

11	श्री अहफाज अहमद पिता श्री एजाज अहमद पता (1) : न्यू आनंद नगर, पम्प हाउस, रजा चौक, जबलपुर (म.प्र.) श्री अहफाज अहमद पिता श्री एजाज अहमद पता (2) : डुप्लेक्स क्र 'D', गढ़ा वार्ड मे चन्दन कॉलोनी मे मुख्य मार्ग से अंदर, जबलपुर (म.प्र.) संबंधित शाखा : M.I.C.I.	11/08/2021	मौजा गढ़ा, नं.बं. 599, प ह नं. 33, रा.नि. मं. जबलपुर-1, पटवारी व डायवर्सन खसरा नं. 301/6, 302/5, 303/5, 304/5, 305/6, 306/5, 307/5, 308/6, 309/6, 310/6 का कुल प्लॉट एरिया 3488 वर्गफुट मे से विक्रय डुप्लेक्स क्र 'डी' का क्षेत्रफल 750 वर्गफुट, गढ़ा वार्ड मे चन्दन कॉलोनी मे मुख्य मार्ग से अंदर, तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.), <b>चतुःसीमा:</b> <b>उत्तर-</b> सोनी जी का मकान, <b>पूर्व-</b> विश्वकर्मा जी का मकान <b>दक्षिण-</b> साइड रोड, <b>पश्चिम-</b> डुप्लेक्स नं. 'सी', प्रलक्षित कब्जा	रु	19,36,000
		02/12/2021		रु	1,93,600
		रु 17,49,222 + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय		रु	10,000

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्योरे के लिए कृपया नीचे दिये गए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात [www.centralbankofindia.co.in](http://www.centralbankofindia.co.in) देखें या बैंक अनुबंधित सेवा प्रदाता मे. एमएसटीसी लिमिटेड के वेबपोर्टल <http://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> पर उपलब्ध लिंक देखें। **हेल्पलाइन नंबर 033-22901004** या क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर प्राधिकृत अधिकारी (मो. 8226014333) से संपर्क कर सकते है।

ये संबन्धित ऋणियों/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार को सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन तीस (30) दिनों की वैधानिक विक्रय सूचना है।

दिनांक: 10/11/2023

स्थान: जबलपुर (म.प्र.)

कृते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,  
प्राधिकृत अधिकारी



सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया  
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

REGIONAL OFFICE - JABALPUR

चल/ अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस ई-नीलामी दि. 21.12.2023

विस्तृत नियम एवं शर्तें

ई-नीलामी तिथि एवं समय	ईएमडी (अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय
21.12.2023 समय: दोपहर 01.00 बजे से साँय 5.00 बजे तक	20.12.2023 साँय 5.00 बजे तक

### नियम एवं शर्तें

- ई-नीलामी "जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है, एवं दायित्व रहित" के आधार पर तथा सरफेसी अधिनियम तथा उसके नियमों के अधीन की जाएगी।
- नीलामी बोली/ बिड ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया तहत वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> के माध्यम से निविदाकर्ताओं के मध्य परस्पर बोली के अनुसार – दिनांक 21.12.2023 को (समय: 01.00 बजे से साँय 5.00 बजे तक) 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार सहित आयोजित की जाएगी। निविदाकर्ता अपनी बोली, बिड वृद्धि राशि केवल उपरोक्त तालिका में "बिड बोली वृद्धि राशि" के गुणन में वृद्धि कर सकता है।
- विस्तृत विवरण को डाउनलोड करने, प्रक्रिया का अनुपालन और नियम एवं शर्तों के लिए कृपया पोर्टल अ) <http://www.centralbankofindia.co.in> पर आएँ व ई-नीलामी के लिए हमारे सेवा प्रदाता का वेबसाइट पता <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> है।
- निविदाकर्ता <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> पर विजिट कर सकते हैं जहाँ निविदाकर्ता के लिए दिशा-निर्देश, शैक्षणिक वीडियो के साथ उपलब्ध हैं।  
निविदाकर्ताओं को निम्नलिखित औपचारिकताओं को पहले ही पूरा करना होगा:  
प्रथम चरण : निविदाकर्ता/खरीददार का पंजीकरण : निविदाकर्ता को ई-नीलामी प्लेटफार्म (ऊपर दिए गए लिंक) पर अपने मोबाइल नं. व ई-मेल पते के साथ पंजीकरण करना है।  
द्वितीय चरण : केवाईसी जांच के लिए निविदाकर्ता को निर्धारित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करना है। केवाईसी दस्तावेजों की जांच ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा की जाएगी (जिसमें 2 कार्य दिवसों का समय लग सकता है)।  
तृतीय चरण : निविदाकर्ता की ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) धनराशि को ग्लोबल ईमडी वालेट में अंतरित करना – ई-नीलामी प्लेटफार्म पर आन लाइन/आफ लाइन फण्ड का अंतरण एनइएफटी (NEFT)/ चलान आधारित अंतरण किया जाता है।  
चतुर्थ चरण : बोली लगाने की प्रक्रिया और नीलामी परिणाम : इच्छुक पंजीकृत निविदाकर्ता प्रथम, द्वितीय व तृतीय चरणों को पूरा करने के पश्चात ई-नीलामी हेतु बोली लगा सकते हैं।  
**कृपया नोट करें कि इच्छुक निविदाकर्ता को प्रथम चरण से तृतीय चरण की प्रक्रिया तक, नीलामी तिथि से पहले अग्रिम रूप से पूरा करना है।**
- ई-नीलामी प्लेटफार्म (<https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp>) पर ई-नीलामी सेवाएं हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता- एमएसटीसी लि. द्वारा प्रदान की जाती हैं जिसका पंजीकृत कार्यालय 225-सी,ए.जी.सी. बोस रोड, कोलकाता- 700020 में है। इच्छुक निविदाकर्ताओं/खरीददारों को ई-नीलामी प्रक्रियाओं हेतु ई-नीलामी सेवा प्रदाता के वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com> पर सहभागिता की जरूरत है। ई-नीलामी पोर्टल पर सेवा प्रदाता कम्पनी ई-नीलामी के लिए आन-लाइन प्रदर्शन/प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। विक्रय के सामान्य नियम एवं शर्तें बैंक की वेबसाइट <http://www.centralbankofindia.co.in>, <http://ibapi.in> और <https://www.mstcecommerce.com> पर उपलब्ध हैं। ई-नीलामी के परिचालन के लिए सहायता मैनुअल इस ई-नीलामी का e-बिक्रय आईबीएपीआई के पोर्टल (<http://www.ibapi.in>) पर उपलब्ध है। ई-नीलामी के इच्छुक प्रतिभागी विक्रय नोटिस, ई नीलामी के नियम एवं शर्तें, विक्रय

नोटिस की प्रतियां, ई-नीलामी का सहायता मैनुअल, मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। इच्छुक निविदाकर्ता, जिन्हें आन-लाइन आई डी और पासवर्ड सृजित करने, डाटा अद्यतन करने, बोली प्रस्तुत करने और ई-नीलामी प्रक्रिया के प्रशिक्षण में सहायता की आवश्यकता है, वे वेबसाइट [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) पर या उनके केंद्रीय हेल्प डेस्क नं. 033-22901004 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

6. इच्छुक निविदाकर्ता/खरीददार को नीलामी समय से पहले अपनी ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) अग्रिम रूप से ग्लोबल ईएमडी वालेट में अंतरित करना है। अगर ईएमडी धनराशि, ईएमडी वालेट में उपलब्ध नहीं है तो सिस्टम निविदा की अनुमति नहीं देगा। पंजीकरण, केवाईसी दस्तावेजों की जांच और ईएमडी का वालेट में अंतरण अग्रिम रूप से नीलामी से पूर्व (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि से पूर्व) पूरा होना चाहिए। निविदाकर्ता या तो एक या सभी सम्पत्तियों का प्रस्ताव दे सकते हैं। ई-नीलामी की तिथि पर वालेट में पर्याप्त ईएमडी होने पर ही इच्छुक निविदाकर्ता पात्र होंगे। बोली लगाने के समय, निविदाकर्ता की वालेट में पर्याप्त ईएमडी होनी चाहिए (EMD)। अगर निविदाकर्ता एक से अधिक सम्पत्तियों के लिए प्रस्ताव देते हैं तो उन्हें प्रत्येक सम्पत्ति के लिए अलग-अलग ईएमडी जमा करना होगा।
7. ऊपर बताई गई अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि (ईएमडी) का भुगतान आन-लाइन अर्थात नेफ्ट (NEFT) /अंतरण (चालान फार्म तैयार करने के पश्चात (<https://www.mstcecommerce.com>) निविदाकर्ता के ग्लोबल ईएमडी वालेट में किया जाएगा। नेफ्ट अंतरण किसी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक से किया जा सकता है। ईएमडी का भुगतान अन्य किसी तरीके जैसे चेक/मांग ड्राफ्ट से स्वीकार नहीं किया जाएगा। इच्छुक निविदाकर्ता जो अपनी ईएमडी वालेट में मांगी गई, ईएमडी जमा नहीं कर रहे हैं, उन्हें ई-नीलामी प्रक्रिया में बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी। अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि (ईएमडी) पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा और असफल निविदाकर्ताओं को बिना ब्याज के ईएमडी वापस की जाएगी।
8. ईएमडी (अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय **दिनांक 20.12.2023 साँय 5.00 बजे तक**।
9. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम पर सम्पत्ति नहीं बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य से नीचे उद्धृत की गई बोली अस्वीकार की जाएगी। निविदाकर्ता अपनी बोली, बिड वृद्धि राशि केवल उपरोक्त तालिका में संबन्धित संपत्ति के सामने उद्धृत "बिड बोली वृद्धि राशि" के गुणन में वृद्धि कर सकता है। अगर कोई निविदा अंतिम 10 मिनट में प्राप्त होती है, तो उसे 10 मिनट का असीमित विस्तार दिया जाएगा। 10 मिनट का समय सफल ऊंची बोली लगाने के लिए दिया जाएगा, अगर निविदाकर्ताओं द्वारा कोई ऊंची बोली नहीं लगाई जाती है, तो 10 मिनट की समाप्ति पर सबसे ऊंची बोली पर ई-नीलामी बंद की जाएगी।
10. प्राधिकृत अधिकारी को अपनी सम्पूर्ण जानकारी और ज्ञान के आधार पर सम्पत्ति पर किसी भी भार की जानकारी नहीं है। तथापि, इच्छुक निविदाकर्ताओं को अपनी निविदाएं प्रस्तुत करने से पूर्व सम्पत्ति पर भार, सम्पत्ति पर हकों, दावों /अधिकारों/ देयताएं जो सम्पत्ति को प्रभावित करती हैं, की जांच अपने स्वतंत्र सूत्रों से करनी चाहिए। ई-नीलामी का विज्ञापन, बैंक का कोई भी प्रतिनिधित्व या प्रतिबद्धता निर्मित नहीं करता है और न ही निर्मित कराता प्रतीत होगा। सम्पत्ति की बिक्री उसके वर्तमान व भविष्य के सभी भार, जिनकी जानकारी बैंक को है या नहीं है, के साथ की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तरह के तृतीय पक्ष के दावों/अधिकारों/देयताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
11. यह निविदाकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि बोली लगाने के पूर्व सम्पत्ति के निरीक्षण से संतुष्ट हों। नीलामी हेतु संपत्ति के निरीक्षण की अनुमति इच्छुक निविदाकर्ताओं को मौके पर प्रत्येक संपत्ति के विवरण के साथ दी जाएगी।
12. आन-लाइन बोली के अंतर के लिए निविदाकर्ता अपनी बोली की राशि हेतु विक्रय नोटिस में उल्लिखित 'बिड वृद्धि राशि के गुणांक में सुधार कर सकता है। अगर बोली, ई-नीलामी के बंद होने के अंतिम 10 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो ई- नीलामी के बन्द होने का समय स्वयं ही 10 मिनट बढ़ जाएगा. ( प्रत्येक समय ई नीलामी प्रक्रिया के बंद होने तक), अन्यथा, यह स्वतः ही बंद हो जाएगी। **निविदाकर्ता, जो सबसे ऊंची निविदा (आरक्षित मूल्य से नीचे न हो) प्रस्तुत करता है, तो ऐसे निविदाकर्ता, ई-नीलामी प्रक्रिया के बंद होते समय प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार वांछित सत्यापन के पश्चात सफल निविदाकर्ता घोषित किया जाता है।**
13. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उच्चतम बोली को स्वीकार करने के बाद, सफल निविदाकर्ता को विक्रय मूल्य का 25%, पूर्व में जमा ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि) को समायोजित करने के पश्चात उसी दिन या अगले कार्य दिवस में जमा करना होगा। शेष विक्रय मूल्य का 75%, नीलामी तिथि के दिन से 15वें दिन तक या पहले या प्राधिकृत अधिकारी के पूर्णरूप से विवेकाधिकार के अंतर्गत लिखित रूप सहमति के आधार पर बढ़े हुए समय में नेफ्ट/आरटीजीएस से बैंक के निम्नलिखित खाते में जमा कराना होगा:

खाता संख्या	खाता का नाम	आईएफएससी कोड / शाखा नाम
3541639109	AUTHORISED OFFICER RO JABALPUR	CBIN0280743 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा नेपियर टाउन, जबलपुर

सफल निविदाकर्ता द्वारा यथोक्त निर्धारित समयावधि में विक्रय मूल्य जमा कराने में असफल रहने पर, उनके द्वारा निविदा

- के सापेक्ष पहले से जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जाएगी और सम्पत्ति/यों को पुनः नीलामी की जाएगी। इस तरह चूकने वाले निविदाकर्ता का सम्पत्ति पर कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।
14. वैधानिक/वैधानिक से अतिरिक्त देनदारियाँ, कर, दर, निर्धारण शुल्क, फीस, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, अंतरण प्रभार आदि क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा।
  15. प्राधिकृत अधिकारी, उच्चतम प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी को पूर्ण अधिकार है कि वह एक या सभी प्रस्तावों को स्वीकार/अस्वीकार/स्थगित/रद्द या ई-नीलामी प्रक्रिया को बिना कारण बताए समाप्त कर दे।
  16. सभी विक्रय प्राप्ति के प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकृत अधिकारी नियमानुसार विक्रय प्रमाणपत्र जारी करता है। खरीदार को स्टाम्प ड्युटी का भुगतान करना होता है जिसमें विक्रय प्रमाणपत्र, पंजीकरण प्रभार, सरकार/किसी प्राधिकारी को देय सभी वैधानिक देय रशियाँ, कर, जीएसटी और सम्पत्ति के वर्तमान और आने वाले किराए का भुगतान शामिल है। बोली/ निविदा में शामिल नामों के अतिरिक्त किसी का नाम जोड़ने/घटाने की अनुमति का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल सफल निविदाकर्ता के नाम विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
  17. प्राधिकृत अधिकारी/बैंक को किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने अथवा बोली को स्थगित/रोकने/विक्रय को रद्द करने और बिना किसी पूर्व नोटिस और विक्रय के नियम एवं शर्तों में सुधार करने का पूरा अधिकार है। अगर पूर्व की बोली असफल हो जाती है तो बिना कारण बताए अगले सबसे ऊंचे निविदा कर्ता को निष्पादन के लिए बुलाने का अधिकार है।
  18. सम्पत्ति की बिक्री 'जहां है जैसी है, जो है जैसी है' के आधार पर की जा रही है। निविदायें प्रस्तुत करने से पहले, इच्छुक निविदाकर्ता अपनी शंकाओं का समाधान स्वतन्त्र जांच और सम्बंधित रजिस्टर/एसआरओ/आय रिकार्ड/भार के सम्बंध में सत्यापन कर सकते हैं। दूसरे वैधानिक प्राधिकारियों और सम्पत्ति पर दावों/अधिकारों/भार/गृहणाधिकार, देयताएं आदि के लिए कोई भी प्राधिकारी जैसे विक्रय कर, उत्पाद शुल्क/ जीएसटी/ आयकर बैंक के प्रभार के अतिरिक्त स्वामित्व प्रकृति, विवरण, मात्रा, गुणवत्ता, दशा, भार, गृहणाधिकार, प्रभार, वैधानिक देयताएं आदि का सत्यापन निविदा प्रस्तुत करने के पहले कर लेना चाहिए। ई-नीलामी, विज्ञापन नहीं बनाती है और कोई बचनबद्धता निर्मित नहीं करती है और न तो बैंक का प्रतिनिधित्व करती है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तृतीय पक्षकार के उपर्युक्त वर्णित दावे/अधिकारों/वैधानिक देयताओं के लिए उत्तरदायी नहीं है, (अगर कोई है)। आन लाइन नीलामी की प्रस्तुति के पश्चात विक्रय के लिए रखी गई सम्पत्ति की प्रकृति, विक्रय प्रभार, भार और अन्य मामलों के दावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
  19. बैंक उल्लिखित सम्पत्ति के विक्रय के लिए उनकी अनुमति प्रक्रिया दिलाने, अनुज्ञापत्र, एनओसी आदि की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है अथवा सम्पत्ति के विक्रय पर देयताओं जैसे पानी, सेवाप्रभार, अंतरण शुल्क, विद्युत बकाया, नगरपालिका/ स्थानीय अधिकारियों/सहकारी आवास सोसाइटी की बकाया देयताएं अथवा अन्य देयताएं, टैक्स, लेवी, शुल्क आदि, यदि सम्पत्ति के विक्रय पर देय हों, तो बैंक कोई जवाबदेही नहीं लेता है। सफल निविदाकर्ता को सम्पत्ति की खरीद पर आयकर के प्रावधानों के अंतर्गत लागू दर से कर का भुगतान प्राधिकारियों को करना है।
  20. निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने और अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले ई-नीलामी हेतु उपलब्ध एमाएसटीसी के वेब पोर्टल <https://www.mstcecommerce.com>, [www.ibapi.in](http://www.ibapi.in) और [www.Centralbankofindia.co.in](http://www.Centralbankofindia.co.in) पर जाएं और ई-नीलामी की विस्तृत शर्तों एवं दशाओं का अध्ययन करें।
  21. निविदाकर्ताओं के स्वयं के हित में अंतिम क्षणों में बोली लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि न सेंट्रल बैंक आफ इंडिया और न सेवा प्रदाता, ई- नीलामी प्रक्रिया में किसी भी चूक/असफलता/इंटरनेट अवरुद्धता/ विधुत व्यवधान आदि की जवाबदेही नहीं लेगा। इस तरह की आकस्मिक स्थिति से दूर रखने के लिए निविदाकर्ताओं से निवेदन है कि वे आवश्यक व्यवस्थाएं/ वैकल्पिक उपाय जैसे पावर सप्लाई, बैंक अप की व्यवस्था करें, ताकि ऐसी विपरीत परिस्थितियों पर गतिरोध को दूर रखा जा सके और नीलामी में सफलता पूर्वक भाग ले सकें।
  22. बिक्री, बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है।
  23. शीर्षक दस्तावेजों / दूसरे दस्तावेजों / संपत्ति के निरीक्षण/ जानकारी हेतु : **संबन्धित शाखा –M.P.H.B. (मो. 8226012856), GOKALPUR (मो. 8226012828), PANAGAR (मो. 8226012861), MICI (मो. 8226012763), BILAHARI (मो. 8226012811)** से बैंकिंग कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है। उपरोक्त संबंध में अन्य किसी जानकारी के लिए **श्री अनिल नायक मो. 8226014333**, क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर, ईमेल- [recvjabaro@centralbank.co.in](mailto:recvjabaro@centralbank.co.in) से सभी कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है।

स्थान : जबलपुर

दिनांक : 10.11.2023

कृते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी

॥ तल, साउथ एवेन्यू मॉल के सामने, पोलिपाथर, ग्वारीघाट रोड, जबलपुर (म.प्र) 482008

Mob. 8226014333 email – [recvjabaro@centralbank.co.in](mailto:recvjabaro@centralbank.co.in)